संख्या-63/2022/ 65/71-3099/14/2020-03-

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि का आवटंन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-43/2022/ई-2024893/71-3099/14/2020-03-, दिनांक 08.03.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 के रूप में जमा की गयी धनराशि रू0 1200.00 लाख (रू0 बारह करोड़ मात्र) अवमुक्त की गयी।

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच के निर्माण कार्य हेतु उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 08.03.2022 द्वारा अवमुक्त जीएस0टी0 की धनराशि रू0 1200.00 लाख को संशोधित करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि की सीमा तक अर्थात् **रू0 1.4479 करोड़ (रू0 एक करोड़ चौवालिस लाख उन्यासी हजार मात्र)** की धनराशि इस शर्त के अधीन अवमुक्त की जाती है कि प्रधानाचार्य एवं वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बहराइच द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 की धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा वास्तविक रूप से जमा की गयी है एवं जमा की गयी धनराशि का रिफण्ड उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-67-पांच जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.)-24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0 लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in